न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 179 / 2024
दायर दिनांक :– 30.10.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 399
निर्णय दिनांक :– 08.03.2025

1. फूसाराम पुत्र सुखाराम जाति मेघवाल निवासी खीरवा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादीगण के नाम से गैर खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि ग्राम खीरवा पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2077–2080 संलग्न वाद पेश है। उक्त भूमि वादी के नाम आवंटन हुई थी ओर उसी दिन मौके पर चलकर वादी ने कब्जा मौके पर प्राप्त कर लिया था। उक्त आवंटन के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण भरते समय पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से उक्त नामानतरकण के कॉलम संख्या 9 में उक्त भूमि के खातेदार वादी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का उक्त भूमि पर आवंटन से लेकर आज दिन तक कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादी की रहवासी ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के बाड़े इत्यादि बने हुवे है जिसमें वादी अपने परिवार सहित बार ही मास निवास करते है तथा बरसात के समय मे काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इसलिये वादी ग्राम खीरवा पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 1/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि मे गैर खातेदारी से खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम खीरवा पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 1/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि में वादी को आवंटन हुई थी। आवंटन के आधार पर वादी के नाम गैर खातेदार के रूप में नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त भूमि में वादी का लगातार कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। चूंकि वादी के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खीरवा पटवार क्षेत्र जोड तहसील बाप के खसरा नंबर 1/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में वादी के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जो तथ्य तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। इसलिए वादी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम खीरवा पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 1/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम आवंटन उक्त भूमि में वादी का लगातार कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से गैरखातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खीरवा पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 1/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि में वादी के नाम से आवंटन के पश्चात गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। जो वर्तमान में भी वादी के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादी का कब्जा काश्त है इन तथ्यों को तहसीलदार बाप ने अपने जवाब मे कथन किया है। इसी अनुसार वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खीरवा पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 1/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि में वादी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादी के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

08/3/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला–फलोदी

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. फूसाराम पुत्र सुखाराम जाति मेघवाल निवासी खीरवा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्याः– 179/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खीरवा पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 1/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि में वादी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादी के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.03.2025 जारी की गई।

08/3/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।